भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1053

दिनांक 08 फरवरी, 2022 / 19 माघ, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जाति आधारित जनगणना

1053. श्री दीपक बैजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रस्तावित 2021 की जनगणना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रस्तावित जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जाति आधारित जनगणना नहीं कराने के क्या कारण है; और

(घ) प्रस्तावित जनगणना पर कितनी निधि व्यय किये जाने कि संभावना है और इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद अधूरी जानकारी का क्या औचित्य है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) जनगणना 2021 कराने की सरकार की मंशा भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2019 को अधिसूचित की गई थी। हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित फील्ड गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

(ख) एवं (ग): जनगणना में, वे जातियाँ एवं जनजातियाँ जो समय-समय पर यथा संशोधित, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में विशेष रूप से अधिसूचित हैं, की जनगणना की जाती है। भारत सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है।

(घ): सरकार ने भारत की जनगणना 2021 के कार्य के लिए 8754.23 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। जनगणना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नियुक्त जनगणना अधिकारियों द्वारा कवरेज और सटीकता सुनिश्चित की जाती है।

*****